अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 808.(अ).—केन्द्रीय सरकार, भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भगौड़ा आर्थिक अपराधी (जब्त संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंध) नियम, 2018 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भगौड़ा आर्थिक अपराधी (जब्त संपत्तियों की प्राप्ति और प्रबंध की रीति और शर्तें) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रशासक" से अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "अधिनियम" से भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) अभिप्रेत है ;

(घ) "जब्त संपत्ति" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जब्त की गई संपत्ति अभिप्रेत है।

3. जब्त की गई संपत्ति की प्राप्ति :- प्रशासक, जब्त संपत्तियों को प्राप्त करने के समय, ऐसी संपत्ति को जब्त करने वाले आदेश में उल्लिखित उसकी विशिष्टियों के प्रतिनिर्देश से ऐसी संपत्ति की उचित पहचान सुनिश्चित करेगा।

4. जब्त संपत्ति का प्रबंध :- (1) जहां जब्त संपत्ति ऐसी प्रकृति की है कि कुर्की के स्थान से उसका हटाया जाना असाध्य है या उसके हटाए जाने में संपत्ति के मूल्य के अनुपात के कारण व्यय अन्तर्वलित है, वहां प्रशासक कुर्की के स्थान पर संपत्ति के उचित रख-रखाव और अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करेगा।

(2) यदि जब्त संपत्ति नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं से मिलकर बनी है तो प्रशासक ऐसी नकदी, प्रतिभूति, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को निकटतम सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा करेगा।

(3) प्रशासक, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अचल संपत्ति के ब्यौरे प्ररूप-1 में और चल संपत्ति, जैसे नकदी, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियां, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के ब्यौरे प्ररूप 2 में अन्तर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(4) प्रशासक, उप-नियम (2) में किए गए निक्षेप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक से रसीद प्राप्त करेगा।

प्ररूप 1

[नियम 4 का उप-नियम (3) देखें]

जब्त संपत्ति (अचल) का प्रबंध

1. आदेश संख्या :
2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख :
3. संपत्तियों का वर्णन (भूमि के मामले में : क्षेत्र, सर्वेक्षण संख्या, प्लॉट संख्या, अवस्थान और पूर्ण पता। भवन के मामले में : मकान संख्या, अवस्थान और पूरा पता) :
4. भगौड़ा आर्थिक अपराधी का नाम और पता (पते) :
5. प्रशासक की टिप्पणियां।

प्रशासक के हस्ताक्षर

.....

प्रशासक का नाम और पदाभिधान

तारीख.....

प्ररूप 2

[नियम 4 का उप-नियम (3) देखें]

जब्त संपत्ति (चल) का प्रबंध

1. आदेश संख्या :
2. संपत्तियों की प्राप्ति की तारीख :
3. संपत्तियों का वर्णन (मात्रा, रकम, प्राक्कलित मूल्य) :
4. भगौड़ा आर्थिक अपराधी का नाम और पता (पते) :
5. जहां संपत्तियां सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा की जाती हैं, वहां सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक की शाखा या किसी प्राधिकृत बैंक की शाखा का नाम और पता :
6. सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में जब्त संपत्तियों के जमा किए जाने की तारीख और समय :
7. सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक से अभिप्राप्त रसीद की तारीख सहित रसीद संख्या :
8. प्रशासक की टिप्पणियां :

प्रशासक के हस्ताक्षर

.....

प्रशासक का नाम और पदाभिधान

तारीख.....

IndiaCode

[फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी]

डॉ. शशांक सक्सेना , सलाहकार (एफएसआरएल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018

G.S.R. 808(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 23 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Manner and Conditions for Receipt and Management of Confiscated Properties) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 15 of the Act;

(b) "Form" means forms appended to these rules;

(c) "Act" means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);

(d) "confiscated property" means property confiscated under sub-section(2) of section 12 of the Act.

3. **Receipt of confiscated property**.—The Administrator shall, at the time of receiving the confiscated properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order confiscating such property.

4. **Management of confiscated property**.—(1) Where the confiscated property is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involves expenditure out of proportion to the value of the

property, the Administrator shall arrange for the proper maintenance and custody of the property at the place of attachment.

(2) If the confiscated property consists of cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables, the Administrator shall deposit such cash, securities, bullion, jewellery or other valuables, for safe custody in the nearest Government Treasury or the office of the Reserve Bank of India or a branch of the State Bank of India or a branch of any authorised bank.

(3) The Administrator shall maintain a register containing the details of immovable property referred to in sub-rule (1), in Form I and details of moveable properties, such as cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables referred to in sub-rule(2), in Form II.

(4) The Administrator shall obtain a receipt from the Government Treasury or the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank, as the case may be, against the deposit made in sub-rule (2).

FORM I

[See sub-rule (3) of rule 4]

MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY (IMMOVEABLE)

1. Order Number:

2. Date of receipt of properties:

3. Description of properties: (In case of land: area, survey number, plot number, location and complete address. In case of building: house number, location and complete address):

4. Name(s) and address(es) of the fugitive economic offender :

5. Remarks of the Administrator:

IndiaCode

Signature of the Administrator

.....

Name and designation of the Administrator

Date.....

FORM II

[See sub-rule (3) of rule 4]

MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY (MOVEABLE)

1. Order number:
2. Date of receipt of properties:
3. Description of properties (quantity, amount, estimated value) :
4. Name(s) and address(es) of the fugitive economic offender :
5. Name and address of the Government Treasury or the office of the Reserve Bank of India or the branch of the State Bank of India or the branch of any authorised bank where the properties are deposited for safe custody:
6. Date and time of deposit of confiscated properties in the Government Treasury or the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank:
7. Receipt number with date of the receipt obtained from the Government Treasury or the Reserve Bank of India or the State Bank of India or the authorised bank:
8. Remarks of the Administrator:

Signature of the Administrator

.....

Name and designation of the Administrator

Date.....

[F. No. 6/3/2017-FSLRC]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.